सेवा में,

1. एफ0 सी0 आर0, हरियाणा।

2. सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार :

अशा0 क्रमांक 6372–2 जी0 एस0 70 दिनांक 19-8-70

प्रतिलिपि क्रमांक 2086-2 जी0 एस0–11-71 दिनांक 18-5-71 मुख्य सचिव, हरियाणा की ओर से हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, इत्यादि को प्रेषित है।

विषय : भर्ती तथा सेवा शर्तों का हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों के नियमों में उपबन्ध की कार्य विधि एवं अन्तिम रूप देना।

क्या सभी वित्तायुक्त एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया कम्पोजिट पंजाब सरकार के अशा: क्रमांक 6029-जी0 एस0–60 दिनांक 21-6-60 जिसमें सेवा नियमों के संशोधन के लिये कार्य विधि कथित है, कि ओर ध्यान देंगे?

2. यह अनुभव किया गया है कि कुछ विभाग सामान्य सेवायें शाखा को संशोधन प्रस्तावनाप्रारूप भेजते समय न न ही वर्तमान नियमों को प्रति भेजते हैं और न ही प्रस्तावित संशोधन का कारण लिखते हैं। इस सूचना की अनुपस्थिति में प्रस्तावित संशोधन का भली प्रकार से निरीक्षण होना असम्भव हो जाता है। इसलिये अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सेवा नियमों के संशोधन की प्रस्तावनाएं प्राय संलग्नक प्रपत्र में दिए गए प्रोफारमा अनुसार दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजी जाय करें।

इस पत्र की पावती भी कृपया भेजी जाए।

Proposal for amendment in Service Rules

Department————————

Rules————————

Existing Rule	Prepared amendment	Reason for the Proposed amendment
1	2	3